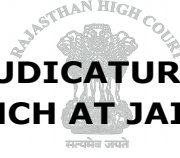




**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR**



S.B. Criminal Miscellaneous (Petition) No. 2330/2025

1. Satya Narayan Son Of Ramsharan, Aged About 38 Years, R/o Town Kaman, District Deeg (Raj).
2. Keshri Singh Son Of Ramsharan, R/o Town Kaman, District Deeg (Raj).

----Petitioners

Versus

1. State Of Rajasthan, Represented Through Public Prosecutor.
2. Mahendra Kumar S/o Ramesh Chand, R/o Dhaula Kuwan, Kaman, District Deeg (Rajasthan).

----Respondents

For Petitioner(s)	:	Mr. Sarwat Alam Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Manvendra Singh Shekhawat, PP

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Judgment / Order

21/04/2026

यह याचिका धारा 528 बी.एन.एस.एस. के तहत पुलिस थाना कामां जिला डीग में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 505/2023 अपराध अन्तर्गत धारा 420, 467, 468, 471, 120 बी भा.दं.सं. को निरस्त करने हेतु प्रस्तुत की गयी है।

विद्वान अधिवक्ता याची-अभियुक्तगण तथा विद्वान अधिवक्ता परिवादी/पीडित/आहतगण द्वारा संयुक्त रूप से यह निवेदन किया गया कि पक्षकारों के बीच में आपसी स्वैच्छिक सहमति के आधार पर राजीनामा हो चुका है। दोनों पक्षों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध हैं, अपराध जघन्य व गंभीर प्रकृति का नहीं है, अतः उपरोक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट व उसके आधार पर संस्थित आपराधिक कार्यवाही को अपास्त किया जावे।



विद्वान लोक अभियोजक द्वारा विधि-सम्मत आदेश पारित किये जाने का निवेदन किया। उनके द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी, जिसके साथ पुलिस के समक्ष अभियुक्तगण व आहतगण/पीडित/परिवादी द्वारा प्रस्तुत राजीनामे को तस्दीक कर प्रस्तुत किया गया है, जिसे अभिलेख पर लिया जाता है।

वर्तमान मामले में अपराध गंभीर व जघन्य प्रकृति का नहीं है। पक्षकारान् के मध्य सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित हो चुके हैं, अतः ऐसी स्थिति में अनुसंधान अथवा अभियोजन को निरन्तर रखे जाने का कोई औचित्य नहीं है, अतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय Gian Singh Vs. State of Punjab & Anr. 2012(10) SCC 303 में प्रतिपादित व्यवस्था के अनुसार यह याचिका स्वीकार होकर उपरोक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट पर दर्ज आपराधिक कार्यवाही अपास्त होने योग्य है।

परिणामतः अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत यह याचिका स्वीकार की जाती है तथा याचीगण के विरुद्ध पुलिस थाना कामां जिला डीग में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 505/2023 की सम्पूर्ण कार्यवाही को निरस्त किया जाता है।

(UMA SHANKER VYAS),J